बस यूं ही...

शांता पारेख, इन्दौर
9425311944

मोहभंग

एक महिला पर्यावरण वादी थी जिन्होंने दिल्ली में अपना घर मिट्टी सरकंडो व गोबर से बनाया था, जिसमे प्राकृतिक रोशनी इतनी थी कि पत्रकार वीडियो भी बना रहें थे, आधुनिक घरों कि तरह लाइट नहीं जलानी पड़ रही थी फाल्स रूफ के चलते, वे गर्व से सब बता रही थी कि,अचानक एक विज्ञापन चालू हो गया जिसमे एक मल्टी स्टोरी प्राकृतिक हवादार, जिम स्विमिंगपूल, क्लबहाउस और भी बहुत कुछ, सम्पूर्ण विरोधाभास जैसा, जो खुशी व प्रशंसा भाव मन में उपजा वह तिरोहित हो गया.

अच्छी चीज को प्रसारित करने के लिये पूर्णरूप से उलट चीज का सहारा लेना, उस प्रयास को सिरे से खारिज कर देता हैं. ये राष्ट्रीय समस्या हैं. बात नश्वरता, माया, सादाजीवन उच्च विचार की, की जाती, व हर जगह ये खरीदो वह खरीदो भाई पूरा जीवन बँगले से फ्लैट में तब्दील हो गया, कोइ उपहार आये तो चिंता बढ़ जाती, कहाँ रखूँ, भारत महान के एकदम पास बड़ा घोटाला, साइबर अपराध, हत्या बदइन्तज़ामी की खबरें हो, तो इंसान असमंजस में उठे, दिन भर उसी में रहे, व रात को कल कुछ अच्छा होगा के आश्वासन के साथ सो जाए, शायद इसी को मोहभंग कहते होंग।

MPPSC की भर्ती नीति पर हाईकोर्ट भी हैरान

क्या शासन के पास अब प्रतिभाओं के लिए कोई जगह नहीं बची?

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक संचालक (कृषि) के 71 पदों पर निकाली गई भर्ती प्रक्रिया ने प्रदेश के प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जब किसी भर्ती विज्ञापन में सामान्य (त्द्गठ्ठद्दह्लड्ढ) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (श्वङ्कस्) के लिए शून्य सीटें छोड़ी जाती हैं, तो यह न केवल संवैधानिक समानता के अधिकारों पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि शासन की भर्ती नीतियों की तार्किकता को भी कटघरे में खड़ा करता है। 100त्न आरक्षण का यह गणित प्रशासनिक विसंगति का ऐसा उदाहरण बन गया है कि स्वयं जबलपुर हाईकोर्ट को इस पर हैरानी जतानी पड़ी है, जो यह स्पष्ट करता है कि व्यवस्था कहीं न कहीं अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है।

भर्ती का यह विवाद केवल तकनीकी नहीं, बल्कि युवाओं के मनोबल से जुड़ा हुआ है। जब सरकार रोस्टर लागू करने में %विज्ञापित पदों% के बजाय %पूरे कैडर% को आधार बनाती है, तो वह अनजाने में ही सामाजिक सद्भाव के स्थान पर जातियों के बीच अनावश्यक असंतोष के बीज बो देती है। सामान्य

वर्ग के उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए यह स्थिति किसी दुस्वप्न से कम नहीं है, जिन्होंने वर्षों तक अपनी मेहनत और लगन से स्वयं को इस परीक्षा के योग्य बनाया, लेकिन विज्ञापन निकलते ही उनके सपने केवल इसलिए धूल-धूसरित हो गए क्योंकि उन्हें प्रतिस्पर्धा के दायरे से ही बाहर कर दिया गया।

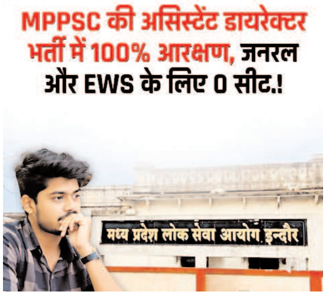

कानूनी रूप से देखा जाए तो 31 जनवरी 2022 के सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रंष्ठ) के स्पष्ट सर्कुलर और पूर्व की भर्तियों के पैटर्न के बावजूद इस बार का विज्ञापन नियमों की अनदेखी करता प्रतीत होता है। प्रोविजनल और मुख्य पदों का वर्गीकरण जिस तरह से चयन प्रक्रिया में उलझन पैदा कर रहा है, वह प्रशासन की कार्यप्रणाली में स्पष्टता की कमी को दर्शाता है। राज्य सरकार को यह समझना होगा कि भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य योग्यतम का चयन होना चाहिए, न कि नीतियों के भूलभुलैया में उलझाकर किसी एक वर्ग को पूरी तरह हाशिए पर धकेल देना, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का सीधा उल्लंघन है।

इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार की प्रशासनिक कार्यकुशलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शासन को अपनी नीतियों को अंतिम रूप देने से पहले उनके सामाजिक और संवैधानिक प्रभावों का आकलन नहीं करना चाहिए? जातियों के आधार पर बांटी गई यह नीतियां अंततः सरकारी व्यवस्था के प्रति युवाओं के भरोसे को कम करती हैं। जब राज्य का युवा प्रशासन का हिस्सा बनने की तैयारी करता है, तो वह जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण का सपना देखता है, लेकिन शासन की ओर से परोसी गई ऐसी %अजीब और गरीब% नीतियां उस उत्साह को हताशा में बदलने का काम करती हैं।

न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेकर एक उम्मीद जगाई है, लेकिन इस प्रक्रिया से उपजी मानसिक प्रताड़ना और अनिश्चितता का दंश तो अभ्यर्थियों को ही झेलना पड़ रहा है। अगली सुनवाई (21 अप्रैल) में सरकार को यह सिद्ध करना होगा कि उसके पास संवैधानिक दायरे में रहकर भर्ती करने की स्पष्ट रूपरेखा है। यदि सरकार पदों के निर्धारण में त्रुटि को स्वीकार कर उसे सुधारती है, तो यह न केवल कानूनी रूप से सही होगा, बल्कि यह सरकार की उस जिम्मेदारी का भी परिचायक होगा जो वह अपने प्रदेश के सभी वर्गों के युवाओं के प्रति रखती है।

अंततः, यह केवल एक भर्ती का मामला नहीं, बल्कि शासन की उस संवेदनशीलता का परीक्षण है जो उसे अपने नागरिकों के सपनों के प्रति दिखानी चाहिए। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय प्रदान करना है, न कि योग्यता के अवसरों को पूरी तरह समाप्त कर देना।

सरकार को इस विवाद से सीख लेते हुए ऐसी पारदर्शी नीतियां बनानी होंगी, जो न केवल जातियों के बीच संतुलन बनाए रखें, बल्कि किसी भी वर्ग के मेधावी युवाओं को यह सोचने पर मजबूर न करें कि उनका भविष्य इस तंत्र में असुरक्षित है। भविष्य की नियुक्तियों के लिए एक स्पष्ट और विवादमुक्त रोस्टर नीति ही इस असंतोष को शांत करने का एकमात्र उपाय है।

संयम से होगा समाधान आपा खोने से नहीं

.......40 दिन से अधिक समय से चल रहे अमेरिका-ईरान-इजराइल युद्ध को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बारम्बार असफल हो रहे हैं. सभी अपनी-अपनी शर्तों पर समाधान चाहते हैं. कोई झुकने को तैयार नहीं है. इजराइल युद्ध विराम की बातों के चलते भी लेबनान पर धमाके करने में पीछे नहीं रह रहा है. ईरान शर्तें रख रहा है. अमेरिका शान्ति-वार्ता भी करता है और धमाकेदार बातें भी. जो कि समाधान की राह में रोड़े अटका रही हैं. युद्ध विराम के प्रयास सब कर रहे हैं किन्तु रुआब से न कि संयम से. तब तो कोई निष्कर्ष निकलना मुनासिब नहीं लगता.

ईरान-इजराइल रुक नहीं रहे हैं और अमेरिका अपनी शक्ति के बेजा प्रदर्शन में लगा हुआ है. कभी भारत को तो कभी चीन को तो कभी किसी और देश को धमकियां ही देने में लगा है. ईरान के होर्मुज पर कब्जे की बात कर रहा है तो चीन को ईरान की मदद करने पर 50त्न टेरिफ लगाने की बात कर रहा है. भारत पर भी टेरिफ लगा चुका है पहले। ईरान-इजराइल-अमेरिका अगर संयम से काम लें, वाजिब शर्तें रखें, बयानबाजी में उग्रता ना दिखायें आपा खोएं और प्रभावशाली देश की मध्यस्थता करें तो शायद युद्ध-विराम की बात आगे बढ़ सकती है

महेश नेनावा, 57, गिरधर नगर (तिलक नगर के पास), इंदौर (म.प्र.)... फोन..0731-4046326.

अंतिम पत्र

सेहत से खिलवाड़ में सिंथेटिक दूध के आगे शराब और एमडी ड्रग बौने साबित होंगे?

समाचार ।

मंदसौर जिले के दो गांवों में यूरिया और केमिकल से सिंथेटिक दूध बनाने वाले कारोबारी पकड़ाए ।

टिप्पणी।

दूध की आड़ में यदि लोगों को सिंथेटिक दूध मिलेगा,तो क्या सेहत सुरक्षित रखने का दूसरा पेय खोजना होगा ?

बी एल शर्मा अकिंचन
तराना-उज्जैन

सलीम खान बेटमा का जन्मदिन मनाया

इंदौर। शिक्षकों ने प्रख्यात मंच संचालक एवं शिक्षक कर्मचारी नेता सलीम खान बेटमा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। पुरानी पेंशन बहाली संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश परमार ने बताया कि शिक्षक साथियों की हर संभव मदद करने वाले हमारे परम मित्र सलीम भाई का जन्मदिन उनके निज निवास बेटमा जाकर हर्ष व उल्लास के साथ मनाया। इस दौरान शिक्षक संघ के पूर्व संभागीय अध्यक्ष राजेश चौहान, आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष संतोष मालवीय, कर्मचारी नेता आर आर चौहान, राकेश गेहलोद उपस्थित थे।

कार्टून कोना...

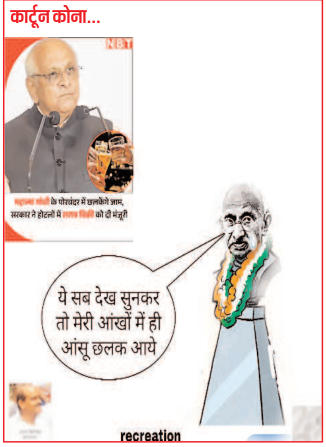

गीता भवन चौराहे पर आम्बेडकर जयंती पर कई संस्थाओं ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर लोगों ने अपने विचार रखे।

इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन के त्रिवार्षिक चुनाव में जय श्री गणेश पैनल की भारी जीत

इंदौर, इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाइज एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन के त्रिवार्षिक चुनाव आज संपन्न हुए। कुल 229 सदस्यों में से 205 सदस्यों ने मतदान का अधिकार का उपयोग किया।

कांटे की टक्कर वाले इस चुनाव में जय श्री गणेश पैनल को 100 मत प्राप्त हुए, जबकि प्रगति पैनल को 99 मत मिले। 6 मत निरस्त कर दिए गए। निर्वाचन अधिकारी द्वारा जय श्री गणेश पैनल के 11 पदाधिकारियों को निर्वाचित घोषित किया गया।

निर्वाचित पदाधिकारीः

राधेश्याम ठाकुर – संरक्षक
औंकारसिंह भांवर – अध्यक्ष
चंद्रेश चावड़ा – उपाध्यक्ष
बाबूलाल मौर्य – उपाध्यक्ष
वीरेंद्र पथरिया – महासचिव
पंकज शर्मा – कोषाध्यक्ष
श्रीमती सुमन गुप्ता – सचिव
कु. रितिका राणा – सचिव
श्रीमती संध्या जोशी- कार्यकारिणी सदस्य
ईश्वरसिंह सोनगरा- कार्यकारिणी सदस्य
शुभम शर्मा-कार्यकारिणी सदस्य
पवन चौहान-कार्यकारिणी सदस्य

भाजपा ने नगर के सभी बूथों पर समरसता दिवस के रूप में मनाई जयंती

इंदौर। संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आज उनकी गीता भवन स्थित प्रतिमा पर भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण किया।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व संभाग प्रभारी रणवीर सिंह रावत, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, मंत्री तुलसी राम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, कृष्णमुरारी मोघे, विधायक गोलू शुक्ला, महेंद्र हार्डिया, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भगवान परमार ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया ।

भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया, कार्यकर्ताओं ने उसे दोहराया द्ब प्रतिमा के समक्ष सभी नेताओं ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामुहिक गान किया। इस अवसर पर निगम सभापति मुन्नालाल यादव, एमआईसी सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया, महामंत्री कैलाश पीपले, महेश कुकरेजा, वासुदेव पाटीदार, राकेश शर्मा, भूपेंद्र केसरी, भारत पारख, नेहा शर्मा, स्वाति कशीद, गुलशन यादव, प्रणव मंडल, मुद्रा शास्त्री, राजीव जैन, अनिल गौहर, वरुण पाल, हेमराज वाडिया, राजा कोठारी, गोविंद पंवार, नीतेश नरवले, सर्वजीत गौड़, मंडल अध्यक्ष नीतेश जैन, महेश बसवाल उपस्थित थे

कांग्रेस जनों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया

इंदौर। डॉ अंबेडकर जयंती पर गीता भवन चौराहे पर स्थित प्रतिमा पर आज कांग्रेस जनों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सभी कांग्रेस जनों ने संविधान के निर्माता बाबा साहब के आदर्श पर और संविधान की रक्षा के लिए शपथ ली वन्दे मातरम् गीत के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ उपरोक्त कार्यक्रम में पंडित कृपा शंकर शुक्ला जी अनिल यादव जी राजेश चौकसे जी राजा चौकसे जी देवेंद्र सिंह यादव जी श्याम सुंदर यादव जी किरण जी जीरेत राय मुनि भगत लोकेश हार्डिया सुधीर सेठिया वीरू झाझोट राधे बोसी रानू मलेरिया शिव घावरी उपस्थित थे संचालन संजय बाकलीवाल ने किया।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं का तेजी से सशक्तिकरण होगा- मुख्यमंत्री

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी महिलाओं के हित में लगातार निर्णय लेकर महिलाओं को अधिकार देने के साथ-साथ उन्हें सशक्त बना रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का फैसला 21वीं सदी के सबसे अहम फैसलों में से एक लेने के करीब है। उक्त अधिनियम के लागू हो जाने के बाद नारी शक्ति का तेजी से सशक्तिकरण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज इंदौर के परस्पर नगर स्थित लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में अपना संबोधन दे रहे थे। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, सासंद श्री शंकर लालवानी, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवीय, विधायक श्रीमती मालिनी गौड़, श्री मधु वर्मा, श्री गोलू शुक्ला, सुश्री उषा ठाकुर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पालन करते हुए मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दिलाकर महिलाओं के हित एक नया इतिहास लिखा, तो वहीं अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर देवी अहिल्याबाई का शहर है और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्मस्थली है।

कोक्लियर इंप्लांट रिहैबिलिटेशन क्लिनिक का शुभारंभ

इंदौर। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं शासकीय महाराजा यशवंतराव अस्पताल इंदौर के ईएनटी विभाग में कोक्लियर इंप्लांट रिहैबिलिटेशन क्लिनिक का शुभारंभ गत दिवस किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े थे। कार्यक्रम में संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने कहा कि कोक्लियर इंप्लांट रिहैबिलिटेशन क्लिनिक अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक सुविधा है, जहां श्रवणबाधित बच्चों को कोक्लियर इंप्लांट के उपरांत समग्र पुनर्वास सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया, एमवाय अस्पताल अधीक्षक डॉ. अशोक यादव, वरिष्ठ कोक्लियर इंप्लांट सर्जन डॉ. एस.पी. दुबे, डॉ. संजय अग्रवाल, डॉ. आर.के. मूदड़ा तथा नोडल अधिकारी डॉ. जफर पठान उपस्थित थे। ईएनटी की विभागाध्यक्ष डॉ. यामिनी गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में कोक्लियर इंप्लांट रिहैबिलिटेशन से संबंधित मरीजों की जानकारी पर केन्द्रित पुस्तिका का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर टेलीथेरेपी सेवा की भी शुरुआत की गई।

Bandhan Bank | रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन : +91-79-26421671-75

सांकेतिक आधिपत्य (कब्जा) सूचना

एतदर्थ सूचना दी जाती है कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 कि धारा 13(12) एवं प्रतिभूतिहित प्रर्वतन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढते हुए अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने खाते(अकाउंट) के सामने उल्लेखित तिथि को डिमांड नोटिस (मांग पत्र) भेजा था व नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर राशि की मांग की गई थी। ऋणी द्वारा भुगतान करने में असफल रहने पर कर्जदार और आम जनता को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम कि धारा 13 की उपधारा(4) सपठित नियम 8 के तहत नीचे लिखे लोन खातों में वर्णित बंधक सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। अतः आप कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्तियों के बारे में कोई व्यवहार न करें और इन संपत्तियों के साथ किसी व्यवहार पर वह राशि, ब्याज, खर्च एवं शुल्क के साथ बैंक को चुकाना होगा। सुरक्षित सम्पत्ति को रिडीम/वापस लेने के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत ऋणियों का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

ऋणियों के नाम, गेरन्टर और ऋण खाता सं.	बंधक संपत्ति का विवरण (प्रतिभूती आस्तियां)	मांगपत्र की तिथि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	कुल बकाया राशि, मांगपत्र की तारीख तक
श्रीराजेश रमेशचंद्र राठौड़ श्रीमती माया राजेश राठौड़ 20008150002170	सभी चल और अचल संपत्ति, जो सर्वे नंबर-2/1 फोन नंबर 10, अंतिम प्लॉट नंबर 212 साउथ सेट नंबर 84 मकान नंबर-212 साउथ श्री कृष्णा ईस्टेट कॉलोनी, बड़वानी, मध्य प्रदेश। राजेश रमेशचंद्र राठौड़ के स्वामित्व में हैं और जो आवरित हैः उत्तर: प्लॉट संख्या 212 का भाग, पूर्व: सरकारी भूमि, पश्चिम: सड़क, दक्षिण: प्लॉट संख्या 213	जनवरी 07, 2025	अप्रैल 09, 2026	रु.11,22,255.44 (दिसंबर 01, 2024 तक)
श्री दीपक खेड़े श्री गोविंद साधव श्रीमती कृष्णा साधव श्री प्रदीप खेड़े 90001043141316	सभी चल और अचल संपत्ति, जो खसरा संख्या 53 (नया संख्या 53/1), सर्वे संख्या 1-09, पुखराज कॉलोनी, वार्ड संख्या 10, बरवाहा, शहर/तालुका बरवाहा, जिला, में स्थित अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा। खरगोन, मध्य प्रदेश-451115, क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट (69.70 वर्ग मीटर)। श्री दीपक खेड़े के स्वामित्व में हैं और जो आवरित हैः उत्तर: प्लॉट संख्या 1-10, पूर्व: प्लॉट संख्या 1-04, पश्चिम: कॉलोनी की सड़क, दक्षिण: प्लॉट संख्या 1-09 का शेष भाग	नवंबर 06, 2025	अप्रैल 09, 2026	रु.26,88,915.50 (अक्टूबर 10, 2025 तक)

स्थानः बड़वानी-खरगोन
तारीखः अप्रैल 15, 2026

प्राधिकृत अधिकारी
बंधन बैंक लिमिटेड